प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.09.2026

ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न- भिन्न कम्पनियों के कुल 500 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये ।

CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर ट्रांस हिंडन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल फोन, स्नैचिंग/लूट व मोबाइल फोन खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ट्रांस हिंडन जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन का बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 500 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रूपये बरामदगी की गई है। चोरी, स्नैचिंग/लूट व खोये हुए मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यों (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, दिल्ली एनसीआर आदि) से बरामद किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को उनके स्वामियों की पहचान कर उनके सुपुर्द कर दिये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. थाना इन्दिरापुरम –100
2. थाना कौशाम्बी- 111
3. थाना खोड़ा- 66
4. थाना लिंकरोड- 43
5. थाना साहिबाबाद- 81
6. थाना टीलामोड- 54
7. थाना शालीमार गार्डन- 45

कुल योग- 500

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 किलो 654 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 08.09.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त 1.सलमान पुत्र सुल्तान हाल निवासी म0नं0 डीएस24 गली नं0 1, डबल स्टोरी नई बस्ती थाना

नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष 2. तनवीर सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी न्यू साई इक्लेव निकट जेडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष आश्रम रोड कच्चे रास्ते से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 02 किलो 654 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नन्दग्राम पर अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम यह गांजा आनन्द विहार दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति से लाते है नाम पता हमें पता नही है। हम यह गांजा नन्दग्राम क्षेत्र में रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को छोटी छोटी पुडिया बनाकर बेचते है तथा ठीक ठाक मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.सलमान पुत्र सुल्तान हाल निवासी म0नं0 डीएस24 गली नं0 1, डबल स्टोरी नई बस्ती थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

2. तनवीर सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी न्यू साई इक्लेव निकट जेडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 किलो 654 ग्राम अवैध गांजा

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरूद्ध थाना सिहानीगेट पर 09 अभियोग आबकारी एक्ट/आर्म्स एक्ट /एनडीपीएस एक्ट/चोरी/मारपीट/लूट/धोखाधडी व थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग एनडीपीएस एक्ट संबंधी व थाना कविनगर पर 01 अभियोग चोरी संबंधी व थाना कोतवाली गाजियाबाद पर 01 अभियोग लूट संबंधी कुल 13 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त तनवीर सिंह उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट संबंधी पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 गले का हार पीली धातु (अनुमानित कीमत 2 लाख रू0) व 5000/- रू0 नगद बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 31.08.2026 को वादी हैदर अब्बास पुत्र श्री जैदी निवासी फ्लैट नं0 1605 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वार लिखित तहरीर दी गई और बताया कि दिनांक 15.06.2026 को अपने परिवार के साथ अपने गांव मीरापुर मुजफ्फरनगर गये हुए थे। जब दिनांक 05.08.2026 को मेरी भाभी इलमा घर वापस आई तो देखा कि अलमारी खुली पड़ी थी तब मेरी भाभी इलमा ने मुझे बुलाया जब हमने सामान चैक किया तो पता चला कि जो रूपये मैने अपनी बहन बुलबुल की शादी के लिये ढाई से तीन लाख रूपये जमा कर रखे थे और एक सोने का गले का हार रखा था चोरी हो गया है। मुझे शक है कि मेरे फ्लैट के बराबर में इमरान और रिहान उर्फ बाबू नाम के लड़को के द्वारा मेरे फ्लैट से चोरी की गयी है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 305(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज, मुखबिर खास की सूचना

के आधार पर चेकिंग के दौरान आज दिनांक 09.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. इमरान पुत्र रहीस खान नि0 फ्लैट नं0 1606, तुलसीनिकेतन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद हाल पता ओ ब्लांक सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष, 2. रिहान उर्फ बाबू पुत्र रहीस खान नि0 फ्लैट न0 1606, तुलसीनिकेतन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद हाल पता ओ ब्लांक सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष को तुलसी निकेतन पशु चिकित्साल भौपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी का 01 गले का हार पीली धातु (अनुमानित कीमत 2 लाख रु0) व 5000 रूपये बरामद। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की बढ़ौत्तरी की गई गई है। गिरफ्तार अभियुक्त इमरान व रिहान उर्फ बाबू के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त इमरान व रिहान उर्फ बाबू से पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों को क्लब जाने का शौक था, हमने अपना शौक पूरा करने के लिए पडौसी के फ्लैट से नगदी व सोने का हार चोरी किया था। हम दोनों से बरामद 5000 रुपये चोरी के ही है, वाकी रुपये हम दोनों ने अपने शौक में खर्च कर दिये थे। आज दिनांक 09.09.2026 को चोरी किये हुए सोने के हार को बेचने के लिये तुलसी निकेतन पशु चिकित्साल भौपुरा के आस-पास घूम रहे थे, जहां हम दोनो को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. इमरान पुत्र रहीस खान नि0 फ्लैट न0 1606, तुलसीनिकेतन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद हाल पता ओ ब्लाक सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।
2. रिहान उर्फ बाबू पुत्र रहीस खान नि0 फ्लैट न0 1606, तुलसीनिकेतन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद हाल पता ओ ब्लाक सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- कब्जे से चोरी का 01 गले का हार पीली धातु व 5000/- रु0 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त इमरान व रिहान उर्फ बाबू के विरुध्द थाना टीलामोड पर त्त अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकरी की जा रही है

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मोटर साईकिल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 08.09.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. पीयूष उर्फ बिटटू पुत्र बदरीनाथ निवासी म0नं033 एब्लाक गोविन्दपुरम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष 2. अमित उर्फ चीनू पुत्र राजकुमार निवासी न्यू फ्रैण्ड कालोनी सै023 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 3. दीपक उर्फ विक्की पुत्र सुरेश निवासी ग्राम गढ़ी, 05 न0 भटटा रोड थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को हिण्डन विहार कट के पास से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक चोरी की मोटर साईकिल न0 रजि0नं0 UP14EJ3404 बरामद की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पर धारा 303 (2) बीएनएस अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–
अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि खर्चा चलाने व नशा करने के लिए मोटर साईकिल चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–
1. पीयूष उर्फ बिटटू पुत्र बदरीनाथ निवासी म0नं033 ए ब्लाक गोविन्दपुरम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष
2. अमित उर्फ चीनू पुत्र राजकुमार निवासी न्यू फ्रैण्ड कालोनी सै023 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
3. दीपक उर्फ विक्की पुत्र सुरेश निवासी ग्राम गढ़ी, 05 न0 भटटा रोड थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
एक मोटर साईकिल न0 UP14EJ3404

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-
1.अभियुक्त पीयूष उर्फ बिट्टू उपरोक्त के विरूद्ध थाना कविनगर पर 05 अभियोग लूट/हत्या /आर्म्स एक्ट संबंधी व 01 अभियोग थाना नन्दग्राम पर चोरी संबंधी कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।
2.अभियुक्त अमित उर्फ चीनू उपरोक्त के विरूद्ध थाना कविनगर पर 04 अभियोग चोरी/एनडीपीएस/आर्म्स एक्ट संबंधी व 04 अभियोग मधुबन बापूधाम पर चोरी/एनडीपीएस/आर्म्स एक्ट संबंधी व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग चोरी संबंधी कुल 09 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से AC की 05 कूलिंग कॉइल, 03 कम्प्रेशर व घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद।

दिनांक 08.09.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के AC का आउटडोर चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.वसीम 2.शहजाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से AC की 05 कूलिंग कॉइल, 03 कम्प्रेशर व घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2),317(5),3(5) बीएनएसस की वृद्धि की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दिन में जगह-जगह रेकी करने के बाद रात में सूनसान घरों व सड़क किनारे से लगे AC चोरी कर लेते हैं, हमने मुरादनगर में जिम के बाहर से AC का आउटडोर चोरी किया था व अन्य जगह से भी AC का सामान चोरी किया था। यह जो 02 बडे वाले कूलिंग कॉइल व बडा वाला कम्प्रेशर है यह उसी AC का है जो हमने जिम के बाहर से चोरी किया था तथा बाकि सामान अलग जगह से चोरी की गयी AC का है। चोरी किये गये AC को हम खोलकर हिस्सों में बेच देते थे। आउटडोर व AC के कवर को हमने चलते फिरते कबाड़ी को बेच दिया था तथा अन्य सामान बेचने के लिये हम ग्राहक की तलाश में गाजियाबाद जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. वसीम पुत्र निजामुद्दीन निवासी जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर मेरठ, उम्र करीब 26 वर्ष
2. शहजाद पुत्र रफीक निवासी खुशहाल कॉलोनी लिसाडी गेट मेरठ, उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से AC की 05 कूलिंग कॉइल, 03 कम्प्रेशर व घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.अभियुक्त वसीम के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं।

2.अभियुक्त शहजाद के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है व पूर्व में 02 अभियोग चोरी के जनपद मेरठ में, 01 अभियोग चोरी का जनपद हापुड में व 01 चोरी का अभियोग थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत हैं।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग का खुलासा, घटना से सम्बन्धित 1.25 करोड़ रुपये फ्रीज।

श्री रत्नाकर मुगशुजी गेडाम निवासी वसुन्धरा, इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ उसके आधार कार्ड का प्रयोग मनीलान्ड्रिंग व फ्रॉड के मुकदमों में एटीएम कार्ड का प्रयोग होना बताकर तथा ED एवं सुप्रीम कोर्ट से वारन्ट जारी होने का भय दिखाकर, उन्हें ED एवं सुप्रीम कोर्ट के फर्जी वारन्ट उनके व्हाट्सअप पर भेजकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर कुल 2,21,03,000/- रूपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। घटना में फ्रीज कराये गये रुपयों को NCRP पोर्टल की SOP के अनुसार रिफण्ड कराने की कार्यवाही प्रचलित है।
थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में 1.25 करोड़ रुपये फ्रीज कराते हुए इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त अरविन्दर सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी WZ 118 सी, ग्राउण्ड फ्लोर गली नं0 15, गुरु नानक नगर नियर नामधारी गुरूद्वारा तिलक नगर पश्चिमी दिल्ली को थाना क्षेत्र कोतवाली, गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

इस मुकदमे में पूर्व में अभियुक्त महताब को दिनांक 17.08.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिल्ली में हार्डवेयर की दुकान चलाता हूँ। मेरे रिश्तेदार राजेन्द्र सिंह का बेटा रंजीत पिछले 1.5 साल से दुबई में रह रहा है। रंजीत ने मुझसे चालू बैंक खाता की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा था और मुझे बताया था कि इस खाते में वह फ्रॉड का पैसा जमा करवायेगा तथा 5 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष पैसा उसके पास दुबई भेजना होगा। मैंने अपने दोस्त गुरप्रीत के माध्यम से सुपाड़ी का काम करने वाले सिद्वार्थ के बैंक खाता की डिटेल लेकर रंजीत को उपलब्ध करायी थी। रंजीत ने कुल 1.22 करोड़ रुपये इस खाते में जमा कराये थे। मैंने इसमें से करीब 43 लाख की सुपाड़ी लेकर मार्केट से कैश पैसा उठाकर रंजीत के पास हवाला के माध्यम से भिजवाया था। इस बीच सिध्दार्थ के खाते में होल्ड लग जाने के कारण शेष पैसे मैं नहीं ले पाया। मुझे कमीशन के 1 लाख 20 हजार रुपये मिले थे, शेष पैसे बाद में मिलने थे।
अभियुक्त के मोबाइल में रंजीत के दुबई के मोबाइल नम्बर पर वार्ता करने के साक्ष्य मिले हैं।
अभियुक्त रंजीत की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरविन्दर सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी WZ 118 सी, ग्राउण्ड फ्लोर गली नं0 15, गुरु नानक नगर नियर नामधारी गुरूद्वारा तिलक नगर पश्चिमी दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष, शिक्षा – 12 वीं पास।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।